भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1046

सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

1046. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों को, विशेष रूप से विजयनगरम जिले को, कुल कितनी वित्तीय सहायता आवंटित और वितरित की गई है;
(ख) इन जिलों में, विशेष रूप से विजयनगरम जिले में, आवंटित धनराशि से शुरू की गई प्रमुख विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों में, विशेष रूप से विजयनगरम जिले में, आवंटित परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई धनराशि की वर्तमान स्थिति, प्रगति और ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कोई चुनौतियां या देरी आ रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विजयनगरम जिले सहित इन जिलों में अतिरिक्त सहायता या परियोजनाओं के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, तथा उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (एपीआरए), 2014 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार, उत्तरवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, समुचित अनुदान की व्यवस्था करे और यह भी सुनिश्चित करे कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में पर्याप्त लाभ और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं । उक्त अधिनियम मे आगे यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार, उत्तरवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज पर विचार करते समय, विशेष रूप से राज्य के रॉयलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी। तदनुसार, आंध्र प्रदेश के रॉयलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्र में स्थित सात जिलों अर्थात् अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, कुरनूल,

श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम और विजयनगरम को विशेष विकास पैकेज के अनुदान के लिए चिन्हित किया गया था। नीति आयोग ने दिनांक 1 दिसंबर, 2015 की अपनी रिपोर्ट नामतः "एपीआरए, 2014 के अधीन आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य की विकास सहायता संबंधी रिपोर्ट" मे अन्य बातों के साथ-साथ, 300 करोड़ रू. प्रति जिले की दर से आंध्र प्रदेश के सात पिछड़े जिलों के लिए 2,100 करोड़ रू. की कुल राशि की संस्तुति की है। इस अनुदान में वित्तीय वर्ष 2014-15 और वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की गई 700 करोड़ रू. की राशि शामिल है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपर्युक्त पैकेज के तहत आंध्र प्रदेश के सात पिछड़े जिलों में किए गए विकास कार्यों में पंचायती राज सड़कें, आरएंडबी सड़कें, पेयजल, बोरवेल्स की ड्रिलिंग, बोरवेल्स को क्रियाशील करना, आदिवासी कल्याण, लघु सिंचाई, कृषि, बागवानी और सूक्ष्म सिंचाई, रेशम उत्पादन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, चिकित्सा और स्वास्थय़ संबंधी कार्य शामिल हैं।

एपीआरए, 2014 के अधीन राज्य के सात पिछड़े जिलों के विकास के लिए जारी की गई धनराशियां नीति आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। केंद्र सरकार ने एपीआरए, 2014 के अधीन राज्य के सात पिछड़े जिलों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 1,750 करोड़ रू. की राशि जारी की है, जिसमें दिनांक 31.03.2020 को जारी 350 करोड़ रू. की चौथी किस्त और दिनांक 31.03.2021 को जारी 350 करोड़ रू. की पांचवीं किस्त शामिल है। हालांकि, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा केवल 1,049.34 करोड़ रूपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

*****